

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-II में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/43/2015-अ.भा.से.-I

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 11 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री श्याम लाल पूनिया, आई.ए.एस. (मणिपुर:2010) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए वैयक्तिक आधार पर मणिपुर संवर्ग से हरियाणा संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड,
नई दिल्ली